न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर जिला मुजफ्फरनगर।

वाद सं0:टी 20170955301363 / 2017 — धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006

ग्राम–तावली — परगना–बघरा

मरियम एजूकेशनल सोसायटी बनाम सरकार

द्वारा सचिव निशा चौधरी

निर्णय दि0 21/2/17

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही मरियम एजूकेशन सोसायटी डी/सी–17,ईस्ट एण्ड ऑफ
अन्सल ट्रानिका लोनी गाजियाबाद द्वारा सचिव श्रीमती निशा चौधरी पत्नी चैयरमैन लुकमान
अली निवासी डी/सी–17,ईस्ट एण्ड ऑफ अन्सल ट्रानिका लोनी गाजियाबाद के प्रार्थना
पत्र पर तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 16.02.2017 प्राप्त होने पर आरम्भ की गई।
अपने प्रार्थना पत्र में वादी द्वारा ग्राम तावली परगना बघरा तहसील व जिला मुजफ्फरनगर
स्थित भूमि खाता संख्या–182 के खसरा नम्बर–257/1 रकबई 3.258 है0 लगान 161.40
रूपए सालाना का कुल हक व हिस्सा 615/3258 यानि 0.615 है0 लगान 30.41 रूपए
को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 की धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये
जाने की अभ्यर्थना की है।

तहसीलदार सदर की जांच आख्या एवं संस्तुति दिनांक 16.02.2017 प्राप्त
हुई,जिसके अवलोकन से विदित है कि ग्राम तावली परगना बघरा तहसील व जिला
मुजफ्फरनगर स्थित भूमि खाता संख्या–182 के खसरा नम्बर–257/1 रकबई 3.258 है0
लगान 161.40 रूपए सालाना का कुल हक व हिस्सा 615/3258 यानि 0.615 है0 लगान
30.41 रूपए के बतौर सहखातेदार स्वामी हैं,जिनका नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर
संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। तहसीलदार सदर की आख्या के अवलोकन से यह भी
विदित है कि उक्त वर्णित भूमि में स्कूल की बिल्डिंग बनी है तथा शेष में निर्माण कार्य चल
रहा है। भविष्य में उक्त भूमि में कृषि कार्य होने की सम्भावना नहीं है तथा उक्त भूमि में
कोई बागवानी,कुक्कुट व मत्स्य पालन नहीं हो रहा है। सी0एच0 41 व 45 के अनुसार
उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है
तथा प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व के संबंध में कोई विवाद नही है। तहसीलदार सदर द्वारा
उक्त भूमि को उ0प्र0राजस्व संहिता 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक उदघोषित करने की
संस्तुति की गयी है।

मैने पत्रावली उपलब्ध भू अभिलेखो,मौके के फोटोग्राफ,तहसीलदार सदर की
आख्या व उसके साथ संलग्न प्रारूप,नकल खतौनी,नकल का अवलोकन किया जिससे
विदित है कि उक्त भूमि मे वर्तमान में कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है और न ही उक्त
भूमि में भविष्य में उक्त भूमि में कृषि कार्य होने की सम्भावना नहीं है तथा उक्त भूमि में
कोई बागवानी,कुक्कुट व मत्स्य पालन भी नहीं हो रहा है। सी0एच0 41 व 45 के अनुसार
उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है
तथा प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व के संबंध में कोई विवाद नही है तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता
2006 की धारा 89 का उल्लंघन नहीं है। यह भूमि वर्तमान में कृषि कार्य, पशुपालन, मत्स्य
पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कार्य में प्रयोग नही लाई जा रही है।

तहसीलदार सदर की आख्यानुसार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 85(2)
के अन्तर्गत वादी के द्वारा जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा निर्धारित स्वीकृत दर
60,00,000/–रूपए प्रति हैक्टेयर की दर से उक्त कृषि भूमि 0.615 है0 की मालियत
36,90,000/–रूपए होती है,जिसकी 1 प्रतिशत धनराशि 37,000/–रूपए चालान संख्या
56 दिनांक 20.02.2017 के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक मुजफ्फरनगर में जमा कराया गया
है,जिसकी एक प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि को उत्तर प्रदेश
राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(1)के अन्तर्गत अकृषक भूमि उदघोषित किया जाना
[illegible] यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उ0प्र0राजस्व संहिता धारा [illegible]

For Mariam Education Society

Secretary Chairman

(98)

(2)

80(1) की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रख्यापन मात्र से भू उपयोग परिवर्तन नहीं हो जाता है। यदि किसी स्तर पर धारा 80(1) के अन्तर्गत प्रख्यापन का भू उपयोग परिवर्तन के रूप में स्वीकार किया जाता है तो यह विधि विरुद्ध होगा और भू उपयोग परिवर्तन स्वतः निष्प्रभावी होगा। प्राधिकृत क्षेत्रान्तर्गत स्थित भूमि पर प्राधिकरण के नियम कानून लागू होंगे।

-आदेश-

अतः उपर्युक्त विवेचना एवं तहसीलदार सदर की आख्या एवं संस्तुति दिनांक 16.02.2017 के आधार पर ग्राम तावली परगना बघरा तहसील व जिला मुजफ्फरनगर स्थित भूमि खाता संख्या--182 के खसरा नम्बर--257/1 रकबई 3.258 है0 लगान 161.40 रूपए सालाना का कुल हक व हिस्सा 615/3258 यानि 0.615 है0 लगान 30.41 रूपए को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 की धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। तद्नूसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक तहसील सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। बाद पूर्ति पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित हो।

दिनांक 21.02.2017

21/2/17

(राम अवतार गुप्ता)
उप जिलाधिकारी सदर
मुजफ्फरनगर

1. नाम सदर ....
2. ....
3. ....
4. .... 22/2/17
5. .... 23/2/17
6. .... 23/2/17
7. .... 10/-
.... 1500/-

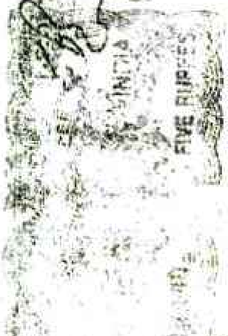

सत्यप्रतिलिपि
23/2/17
उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट-सदर
मुजफ्फरनगर

(99)

डिगरी न्यायालय माल

न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर, मुजफ्फरनगर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश भूमि विनाश अभिनियम 01 सन 1951 की धारा 176 ज0वि0 अधि0 के अन्तर्गत संस्थापित वाद संख्या 28 सन 2009-10 की संस्थापन दिनांक 20.11.2009

मरियम ऐजूकेशन सोसायटी डी0/सी0-17 ईस्ट एण्ड ऑफ अन्सल ट्रानिका सिटी लोनी जिला गाजियाबाद द्वारा सचिव श्रीमती निशा चौधरी पत्नी चैयरमैन लुकमान अली, निवासी डी0/सी0-17 ईस्ट एण्ड ऑफ अन्सल ट्रानिका सिटी लोनी जिला गाजियाबाद व द्वारा कोषाध्यक्ष डा0 अनिल सक्सेना पुत्र शिवप्रसाद सक्सेना निवासी लवकुश हास्पिटल करावलनगर, दिल्ली-94 ....वादी

बनाम

1. कासिम पुत्र मौहम्मद इसहाक निवासी ग्राम तावली परगना बघरा तहसील व जिला मुजफ्फरनगर

2. ग्राम सभा ग्राम तावली द्वारा प्रधान ग्राम तावली परगना बघरा तहसील व जिला मुजफ्फरनगर ....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते तकसीम खाता (धारा 176 ज0वि0 अधि0)

-:विवादित भूमि का विवरण:-

स्थित ग्राम तावली परगना बघरा तहसील व जिला मुजफ्फरनगर

खाता न0. 143, खसरा न0. 257 रकबई 4.0780 है0, खसरा न0. 996/97 रकबई 0.0100 है0 कुल 2 किते कुल रकबई 4.0880 है0, भू राजस्व 201.90 रूपये।

यह वाद अन्तिम आदेश हेतु न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर मुजफ्फरनगर में दिनांक 29.03.2010 को वादी पक्ष की उपस्थिति श्री सतवीर सिंह एडवोकेट तथा प्रतिवादी पक्ष की उपस्थिति श्री नगेन्द्र सिंह एडवोकेट प्रस्तुत होकर आदेश हुआ कि लेखपाल द्वारा प्रस्तुत कुर्रे दिनांक 25.01.2010 स्वीकार किये जाते है तदनुसार अन्तिम डिग्री बनायी जाये। पक्षगण द्वारा स्टाम्प दाखिल करने के उपरान्त परवाना अमल दरामद जारी हो।

फरद ? भूमि जिस प्रकार विभाजन किया गया

कुर्रा न0. 1:- मरियम ऐजूकेशन सोसायटी डी0/सी0-17 ईस्ट एण्ड ऑफ अन्सल ट्रानिका सिटी लोनी जिला गाजियाबाद द्वारा सचिव श्रीमती निशा चौधरी पत्नी चैयरमैन लुकमान अली, निवासी डी0/सी0-17 ईस्ट एण्ड ऑफ अन्सल ट्रानिका सिटी लोनी जिला गाजियाबाद व द्वारा कोषाध्यक्ष डा0 अनिल सक्सेना पुत्र शिवप्रसाद सक्सेना निवासी लवकुश हास्पिटल करावलनगर, दिल्ली-94, खाता न0. 143, खसरा न0. 257/2 रकबई 0.8200 भू राजस्व 40.50 रूपये।

कुर्रा न0. 2:- कासिम पुत्र मौहम्मद इसहाक निवासी ग्राम तावली खाता न0. 143 खसरा न0. 257/1 रकबई 3.2580 है0, भू राजस्व 160.91 रूपये।

हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर न्यायालय द्वारा आज दिनांक 15/4/10 को सम्पादित हुआ।

अभिलेख संरक्षक

उपजिलाधिकारी सदर
मुजफ्फरनगर

प्रतिलिपि

100

नकल द्वारा आवेदन संख्या 403 आवेदक
नकल जारी ता0 15-4-10

डिगरी न्यायालय माल

न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर, मुजफ्फरनगर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश भूमि विनाश अधिनियम 01 सन 1951 की धारा 176 ज0वि0 अधि0 के अन्तर्गत संस्थापित वाद संख्या 28 सन 2009-10 की संस्थापन दिनांक 20.11.2009

मरियम ऐजूकेशन सोसायटी डी0/सी0-17 ईस्ट एण्ड ऑफ अन्सल ट्रानिका सिटी लोनी जिला गाजियाबाद द्वारा सचिव श्रीमती निशा चौधरी पत्नी चैयरमैन लुकमान अली, निवासी डी0/सी0-17 ईस्ट एण्ड ऑफ अन्सल ट्रानिका सिटी लोनी जिला गाजियाबाद व द्वारा कोषाध्यक्ष डा0 अनिल सक्सेना पुत्र शिवप्रसाद सक्सेना निवासी लवकुश हास्पिटल करावलनगर, दिल्ली-94 ....**वादी**

बनाम

1. कासिम पुत्र मौहम्मद इसहाक निवासी ग्राम तावली परगना बघरा तहसील व जिला मुजफ्फरनगर
2. ग्राम सभा ग्राम तावली द्वारा प्रधान ग्राम तावली परगना बघरा तहसील व जिला मुजफ्फरनगर ....**प्रतिवादीगण**

वाद वास्ते तकसीम खाता (धारा 176 ज0वि0 अधि0)

-:विवादित भूमि का विवरण:-

स्थित ग्राम तावली परगना बघरा तहसील व जिला मुजफ्फरनगर
खाता न0. 143, खसरा न0. 257 रकबई 4.0780 है0, खसरा न0. 996/97 रकबई 0.0100 है0 कुल 2 किते कुल रकबई 4.0880 है0, भू राजस्व 201.90 रूपये।

यह वाद अन्तिम आदेश हेतु न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर मुजफ्फरनगर में दिनांक 29.03.2010 को वादी पक्ष की उपस्थिति श्री सतवीर सिंह एडवोकेट तथा प्रतिवादी पक्ष की उपस्थिति श्री नगेन्द्र सिंह एडवोकेट प्रस्तुत होकर आदेश हुआ कि लेखपाल द्वारा प्रस्तुत कुर्रे दिनांक 25.01.2010 स्वीकार किये जाते है तदनुसार अन्तिम डिग्री बनायी जाये। पक्षगण द्वारा स्टाम्प दाखिल करने के उपरान्त परवाना अमल दरामद जारी हो।

तफसील भूमि जिस प्रकार विभाजन किया गया

कुर्रा न0. 1:- मरियम ऐजूकेशन सोसायटी डी0/सी0-17 ईस्ट एण्ड ऑफ अन्सल ट्रानिका सिटी लोनी जिला गाजियाबाद द्वारा सचिव श्रीमती निशा चौधरी पत्नी चैयरमैन लुकमान अली, निवासी डी0/सी0-17 ईस्ट एण्ड ऑफ अन्सल ट्रानिका सिटी लोनी जिला गाजियाबाद व द्वारा कोषाध्यक्ष डा0 अनिल सक्सेना पुत्र शिवप्रसाद सक्सेना निवासी लवकुश हास्पिटल करावलनगर, दिल्ली-94, खाता न0. 143, खसरा न0. 257/2 रकबई 0.8200 भू राजस्व 40.50 रूपये।

कुर्रा न0. 2:- कासिम पुत्र मौहम्मद इसहाक निवासी ग्राम तावली खाता न0. 143 खसरा न0. 257/1 रकबई 3.2580 है0, भू राजस्व 160.91 रूपये।

हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर न्यायालय द्वारा आज दिनांक 15/4/10 को सम्पादित हुआ।

उपजिलाधिकारी सदर
मुजफ्फरनगर

(10)

तथा लेखपाल द्वारा प्रस्तुत कुर्रे दिनांक 25-1-2010 को स्वीकार किये जाने पर बल दिया गया।

उभय पक्षो के अधिवक्तागण को सुना गया तथा वाद पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसके अवलोकन से मै इस मत का हूँ कि लेखपाल द्वारा प्रस्तुत कुर्रे दिनांक 25-1-2010 कब्जे तथा मालियत के आधार पर लगाये गये है जो लेखपाल बयान से भी स्पष्ट है।उभय पक्षो के द्वारा लेखपाल द्वारा प्रस्तुत कुर्रे दिनांक 25-1-2010 पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गयी है. तथा आपत्ति, न होने के सम्बन्ध में पक्षो के द्वारा दिनांक 25-3-2010 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा लिखित में भी आर्डर शीट पर अंकित किया गया है।इससे स्पष्ट होता है कि उभय पक्षो के द्वारा लेखपाल द्वारा प्रस्तुत कुर्रे दिनांक 25-1-2010 पर कोई आपत्ति नहीं है।ऐसी स्थिति में लेखपाल द्वारा प्रस्तुत कुर्रे दिनांक 25-1-2010 स्वीकार किये जाने न्यायोचित प्रतीत होते है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर लेखपाल द्वारा प्रस्तुत कुर्रे दिनांक 25-1-2010 स्वीकार किये जाते है।तदनुसार अन्तिम डिग्री बनायी जाये।पक्षगण के द्वारा आवश्यक स्टाम्प दाखिल करने के उपरान्त परवाना अमलदरामद जारी होवे।पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल दफतर की जाये।

दिनांक 29-3-2010

29/3/10
(जे0एस0मिश्र)
उप जिलाधिकारी-सदर,
मुजफफरनगर।

१-नाम नकल ....
२-नकल
३-तुल
४-प्रा...
५-नकल ...
६-...
७-...

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
उप जिलाधिकारी
मुजफ्फरनगर

(103)

न्यायालय उप जिलाधिकारी–सदर(मुजफ्फरनगर)

धारा–176 ज0वि0अधिनियम

वाद संख्या 28/2009–10 [illegible] बघरा

मौजा तावली [illegible] [illegible] आफ अन्सल ट्रनिका सिटी लोनी

मरियम एजुकेशन सोसायटी [illegible] ईस्ट [illegible] पत्नि चेयरमैन लतुकमान अली निवासी

जिला गाजियाबाद द्वारा सचिव श्रीमति निशा चौधरी [illegible] सिटी लोनी जिला गाजियाबाद व द्वारा

डी0/सी0–17 ईस्ट एण्ड आफ अन्सल ट्रनिका सिटी [illegible] नि0 लवकुश हास्पिटल करावल नगर

कोषाध्यक्ष डा0अनिल सक्सेना पुत्र शिवप्रसाद सक्सेना नि0 [illegible]

दिल्ली–94.

बनाम

[illegible] आदि

आदेश

प्रश्नगत वाद की कार्यवाही मरियम एजुकेशन सोसायटी डी0/सी–17 ईस्ट एण्ड आफ अन्सल ट्रनिका सिटी लोनी जिला गाजियाबाद द्वारा सचिव श्रीमति निशा चौधरी पत्नि चैयरमैन लतुकमान अली निवासी डी0/सी0–17 ईस्ट एण्ड आफ अन्सल ट्रनिका सिटी लोनी जिला गाजियाबाद व द्वारा कोषाध्यक्ष डा0अनिल सक्सेना पुत्र शिवप्रसाद सक्सेना नि0 लवकुश हास्पिटल करावल नगर दिल्ली–94 के द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र दिनांक 17–11–2009 जो दिनांक 20–11–2009 को प्रस्तुत किया गया के आधार पर प्रारम्भ हुई जिसमें भूमि आराजी स्थित ग्राम तावली परगना बघरा के खाता संख्या 143 के खसरा संख्या 257 रकबा 4–0780है0 को तकसीम किये जाने की अभ्यर्थना की गयी है।

वाद दर्ज कर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये।प्रतिवादी की ओर से दिनांक 1–12–2009 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।अंशो के सम्बन्ध में पक्षो के मध्य कोई विवाद न होने के कारण पारित आदेश दिनांक 17–12–2009 के द्वारा अंश घोषित किये गये तथा लेखपाल को कुर्रे दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया।लेखपाल के द्वारा दिनांक 25–1–2010 को कुर्रे दाखिल किये गये तथा लेखपाल का बयान लिया गया।लेखपाल ने बयान में कुर्रे कब्जे व मालियत के आधार पर लगाये जाने का कथन किया गया।

उभय पक्षो के अधिवक्तागण के द्वारा लेखपाल द्वारा प्रस्तुत कुर्रे दिनांक 25–1–2010 को स्वीकार करते हुए आदेश पारित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 25–3–2010 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

उभय पक्षो के अधिवक्ताओ को सुना गया।वादी पक्षके अधिवक्ता के द्वारा लेखपाल द्वारा प्रस्तुत कुर्रे दिनांक 25–1–2010 कब्जे तथा मालियत के आधार पर लगाये गये है।कुर्रे दिनांक 25–1–2010 स्वीकार करते हुए अन्तिम डिग्री बनाये जाने पर बल दिया गया।प्रतिवादी के अधिवक्ता के द्वारा वादी पक्ष के अधिवक्ता के तर्को का समर्थन किया गया।